वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई, वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार वादग्रस्त भूमि का एक मात्र खातेदार कृषक वादीगण को घोषित करने निवेदन किया। मेरे द्वारा वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का मनन/अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन पर पाया की देवा पिता जवा की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण केवल हकरी बेवा देवा के नाम से स्वीकृत हुआ, वादीगण यदि गोद पुत्र गये थे तो तभी उनका उनका हिस्सा खुलना चाहिए था। नामान्तरकरण संख्या 6 के अवलोकन पर पाया की हकरी बेवा देवा की लाऔलाद मृत्यु होने पर भतीजे वेस्ता के नाम स्वीकृत हेतु पेश किया गया, जिसमे वंशावली मे वेस्ता को मेहजी की संतान एवं हकरी को लाऔलाद दर्शाया गया है। 100 रू के स्टाम्प पर निष्पादीत गौद नामा भी देवा पिता जवा के जिवित रहते निष्पादीत नही किया गया है एवं ना ही देवा पिता जवा के जिवनकाल का ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया की वेस्ता को गौद लिया गया हो। इन सब से प्रतित होता है कि वादी द्वारा कुटरचित से पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 6 मे हकरी बेवा देवा का अकेला भतीजा बन आवेदन किया, ग्राम पंचायत द्वारा गलत वंशावली बता नामान्तरकरण निरस्त किया। नामान्तरकरण संख्या 7 से वादी व प्रतिवादीगण सभी के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। इस वाद पत्र मे वादीगण द्वारा हकरी बेवा देवा को गोद पुत्र बन एक मात्र खातेदार बनने हेतु अनुतोष चाहा है, जो आवश्यक दस्तावेजो/साक्ष्यों के अभाव में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् नही दिया जा सकता है।

वादीगण सक्षम न्यायालय से गौद पुत्र साबित करने वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

19/6

(डॉ. अमित यादव) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

आदेश

वाद वादी निरस्त किया जाता है।

19/6

(डॉ. अमित यादव) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

Scanned by CamScanner